संपादकीय जागरण

मंगलवार, 31 अक्टूबर, 2017 : कार्तिक शुक्ल 11 वि. 2074

सदाचार ही सम्मान का स्रोत है

ममता को फटकार

यह अच्छा हुआ कि सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राज्य सरकार को लगी फटकार एक तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगाई गई फटकार है, क्योंकि एक तो उक्त याचिका उनकी ही पहल पर शीर्ष अदालत पहुंची और दूसरे वह खुद इस तरह के बयान देने में भी संकोच नहीं कर रही थीं कि भले ही सरकार उनका मोबाइल फोन बंद कर दे, लेकिन वह उसे आधार से नहीं जोड़ेंगी। हालांकि उक्त याचिका मोबाइल फोन को आधार से जोड़ने के मसले पर नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आधार से जोड़ने को लेकर थी। इस याचिका का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता था, क्योंकि सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने का फैसला संसद की ओर से बनाए गए कानून के तहत लिया गया था। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से दो टूक ढंग से पूछा कि आखिर कोई राज्य सरकार संसद की ओर से बनाए गए कानून को कैसे चुनौती दे सकती है, लेकिन यह समझना कठिन है कि जब किसी राज्य सरकार को संसद की ओर से बनाए गए कानून के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार ही नहीं तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका स्वीकार ही क्यों की? क्या यह अच्छा नहीं होता कि इस बेजा याचिका पर समय जाया करने से बचा जाता? आखिर यह कहां तक उचित है कि सुप्रीम कोर्ट में संघीय व्यवस्था और साथ ही संसद के जनादेश को चुनौती देने वाली याचिका को महत्व मिले?

यह पहली बार नहीं जब ममता और उनकी सरकार ने संकीर्ण राजनीति के तहत केंद्र सरकार के किसी फैसले का विरोध किया हो। उन्होंने ऐसा करना अपनी आदत बना ली है। आधार को मोबाइल फोन से जोड़ने अथवा उसके कारण कथित तौर पर निजता का हनन होने पर संविधान पीठ का फैसला जो भी हो, इससे इन्कार नहीं कि सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने से करोड़ों रुपये की बचत होने के साथ पात्र लोगों को ही सब्सिडी मिलना सुनिश्चित हुआ है। इस तथ्य के बाद भी अगर कोई सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को आधार से जोड़ने की योजना का विरोध करता है तो इसका एक ही मतलब है कि उसके इरादे नेक नहीं। संघीय ढांचे को चुनौती देने वाले ममता बनर्जी के रवैये से यह संदेह होना स्वाभाविक है कि कहीं वह अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के हित की चिंता में तो आधार का विरोध नहीं कर रही हैं? जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि वह पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से आ बसे लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान रहती हैं। दुर्भाग्य से आधार कार्ड के मामले में ममता बनर्जी सरीखे अड़ंगा लगाने वाले रवैये का परिचय अन्य विपक्षी नेता भी दे रहे हैं। हैरानी इस पर है कि इनमें आधार की जनक कांग्रेस के भी नेता हैं। वे एक ओर आधार को शुरू करने का श्रेय लेते हैं और दूसरी ओर उसके इस्तेमाल को बढ़ाने का तरह-तरह के बहानों के जरिये विरोध भी करते हैं।

खनन का खेल

अवैध खनन सरकार की तमाम सख्त कोशिशों के बाद भी थमता नहीं दिख रहा। कहीं थानेदार तो कहीं प्रशासन की मदद से खनन माफिया अपने मंसूबों को अंजाम देने में धड़ल्ले से जुटे हैं। दरअसल, धरती की कोख को उजाड़ने का काम पिछली सरकार में खूब फला-फूला। अफसरों को भी सुविधाशुल्क का कुछ ऐसा चस्का लगा कि उन्हें अब भी भय नहीं है कि सरकार बदल चुकी है। सरकार की लगातार सख्ती के बावजूद खनन माफिया का तिलस्म न टूटना चिंताजनक तो है ही, साथ ही अफसरशाही के निरंकुश होने का परिचायक भी। अवैध खनन का दोषी पाए जाने पर पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा जुर्माने का नया नियम लागू हो चुका है, साथ ही सजा की अवधि भी बढ़ा दी गई है। ऐसे मामले के दोषियों की सजा छह माह से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत प्रति हेक्टेयर अवैध खनन पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है।

अफसर यदि पुराना रवैया त्याग कर पूर्ण मनोयोग के साथ भ्रष्टाचार मुक्ति के इस यज्ञ में सहभागी बनें तभी बात कुछ बनेगी

रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाने में नाकाम गोंडा और मऊ के चार थानाध्यक्षों और दोनों जिलों के दो खान निरीक्षकों को निलंबित कर दिया। तीन उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) और तीन क्षेत्राधिकारियों (सीओ) के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं। दोनों जिलों के डीएम और एसपी को भी चेतावनी दी है। इन पर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण न रख पाने का आरोप है। लगातार कड़े फैसले करके योगी सरकार ने संदेश दिया है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को कतई नहीं बख्शेगी, लेकिन अफसर यदि पुराना रवैया त्याग कर पूर्ण मनोयोग के साथ भ्रष्टाचार मुक्ति के इस यज्ञ में सहभागी बनें तभी बात कुछ बनेगी। खनन पर रोक के चलते बालू, मोरंग, गिट्टी और ढोका का मनचाहा मोल चुकाने के लिए हर कहीं जरूरतमंद व्यग्र दिखते हैं, भ्रष्ट तंत्र इसी जरूरत को अपना धंधा मानता है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आप मानते हैं कि देश की अधिकांश राजनीतिक पार्टियों में पर्याप्त आंतरिक लोकतंत्र है?

आज का सवाल

क्या कश्मीर पर पी. चिदंबरम के विवादास्पद बयान का आगामी विधानसभा चुनावों पर असर पड़ सकता है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, N–नहीं, C–कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

धर्म को मजहब न बनाएं

शंकर शरण

हिंदू पूजा-अर्चना को हृदय और मानस से धर्म-पालन का साधन समझना चाहिए, न कि किसी प्रतीक में अंधविश्वास मात्र

उज्जैन के महाकाल मंदिर में स्थापित शिवलिंग के साथ पंचकर्म नहीं होगा। उस पर साधारण नहीं, बल्कि आरओ का पानी चढ़ाया जाएगा। ऐसे निर्णय विचित्र हैं। शिवलिंग, मूर्ति या प्रतिमाएं केवल प्रतीक हैं, धर्म चेतना की ओर बढ़ने की सबसे साधारण चीज। उसी को अंतिम मानकर माथापच्ची करना निपट अज्ञान है जिसे यह भी ध्यान नहीं कि ऐसी प्रतिमाएं, प्रतीक तो हिंदू लोग हर साल बनाते और विसर्जित करते रहते हैं। यदि उसी में धर्म निहित रहता तो दुर्गा या गणपति को विसर्जित क्यों करते? ऐसा अज्ञान हमारे देश में धर्म-विहीन शिक्षा के कारण है। वैसे निर्णय धर्म और रिलीजन की भिन्न धारणाओं के घालमेल का भी कुप्रभाव है। जिसे पश्चिमी लोग रिलीजन मानते हैं उसकी सीख केवल विश्वास, अंधविश्वास और कुछ बाह्याचार मात्र है। रिलीजन वाली समझ यह है कि किसी व्यक्ति का आचरण कैसा भी हो, यदि वह एक विशेष ईश्वर, उसके विशेष दूत-पैगंबर और विशेष पवित्र किताब पर विश्वास रखता है तो वह अमुक रिलीजन का हुआ। बहुत से लोग उसी प्रवृत्ति को हिंदू धर्म पर थोप रहे हैं, जबकि हिंदू धर्म में मंदिर जाना, प्रतिमा-पूजन करना आदि असली बात नहीं है। इसीलिए यह सब करते हुए यदि कोई दूषित आचरण में लिप्त हो तो उसे अधर्मी, पापी, त्याज्य, दंडनीय माना जाता है। हिंदुओं के बाह्य धर्माचार को रिलीजियस फेथ में नहीं बदलना चाहिए। नहीं तो धर्म का ह्रास होता जाएगा चाहे मजहबी किस्म का अंधविश्वास बढ़ जाए। उपनिषदों से लेकर स्वामी विवेकानंद तक ने यही और केवल यही शिक्षा दी है। यदि उन शिक्षाओं को आत्मसात करने, तदनुरूप जीवन बना सकने में मंदिर की प्रतिमाएं, प्रतीक सहायता दे सकें तभी और केवल उतनी ही उनकी उपयोगिता है। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने इस पर लिखा था: 'जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं उसमें जो बुनियादी तत्व है वह यह है कि इसमें इस बात का महत्व नहीं है कि आप क्या मानते हैं, बल्कि आप समाज में कैसे रहते हैं, इसका महत्व है।'

धर्म आचरण से जुड़ा है जबकि रिलीजन विश्वास से। धर्म कहता है आपके विश्वास कुछ भी हों, आपका आचरण नीति, मर्यादा, विवेक के अनुरूप होना चाहिए। इसीलिए यहां ऐसी अवधारणाएं हैं जिनके लिए पश्चिमी भाषाओं में कोई शब्द नहीं। जैसे, राज-धर्म, पुत्र-धर्म, क्षात्र-धर्म, आदि। जबकि आचरण से परे यदि आप कुछ निश्चित बातों पर विश्वास करते हैं तो आप ईसाई या मुस्लिम रिलीजन वाले हुए। इसीलिए उनके बीच रिलीजन को 'फेथ' भी कहा जता है। वहां फेथ ही रिलीजन है। अतः उज्जैन में स्थापित शिवलिंग को फेथ वाली दृष्टि से न देखें। सोमनाथ में मुस्लिम आक्रांताओं ने दर्जनों बार शिवलिंग तोड़कर नष्ट किया, किंतु वहां पुनः-पुनः नया शिवलिंग स्थापित कर प्राण-प्रतिष्ठा की गई। अतएव हिंदू पूजा-अर्चना को हृदय और मानस से धर्म-पालन का साधन समझना चाहिए, न कि किसी प्रतीक में अंधविश्वास मात्र। शिवलिंग की वैसी रक्षा करना हास्यास्पद है, जैसे किसी मनुष्य के शरीर को हर हाल में मरने से बचाने की चिंता हो। यह हिंदू धर्म नहीं है। यह तो धर्म को रिलीजन वाली फेथ दृष्टि में बांध देना हुआ।

वस्तुतः अंग्रेजी शिक्षा और विकृत सेक्युलरिज्म के सम्मिलित दुष्प्रभाव से हम धर्म से दूर हो रहे हैं। इसके बदले धर्म-हीन होकर फेथ-रिलीजन वाले अर्थ में अंध-विश्वासी बन रहे हैं। तरह-तरह की धोखाधड़ी, पापाचार, आडंबर में लिप्त रहते हुए भी पूजा-पाठ जैसी प्रवृत्ति यही चीज है। यह विकृति हमारे सामाजिक व्यवहार में भी दिखाई पड़ती है। प्रायः कार्यक्रमों में दीप-प्रज्ज्वलन मोमबत्ती से किया जाता है, जबकि पहले से जलती मोमबत्ती से दीप-प्रज्ज्वलन करना एक मतिहीन अनुष्ठान है। इसी प्रकार यज्ञोपवीत, विवाह जैसे आध्यात्मिक अवसर पर अधिकांश का ध्यान संस्कार पर नहीं, बल्कि उनके फोटो खींचने, खिंचवाने पर रहता है। मानो विवाह किसी थिएटर का ड्रेस-रिहर्सल है जिसमें सप्तपदी को भी फोटो लेने के लिए रोका जाता है। वर माला की आवृत्ति कराई जाती है, क्योंकि फोटो ठीक नहीं आया। वात्स्यायन जी ने इस प्रवृत्ति को 'हिंदू वल्गैरिटी' कहा था। उन्होंने मंदिरों के इर्द-गिर्द आम गंदगी में भी यही देखा था। मंदिरों में चबूतरे आदि पर चंदा देने वालों के नाम खुदवाना, कन्याकुमारी समुद्र में स्वामी विवेकानंद स्मृति में बड़ी प्रतिमा और बिल्डिंग बना देना भी उन्हें फूहड़ लगा था। जिससे 'लोग सामने के विराट को नहीं देखते, केवल जिसने वह विराट देखा था उसकी प्रतिमा बनाकर पूजने बैठ जाते हैं। वह प्रतिमा ही फिर उनके और विराट के बीच दीवार बन जाती है।'

यह हिंदू समाज में धर्म का मर्म खोने, और रिलीजियस फेथ वाली आदतें अपनाने के उदाहरण हैं। यहां सेक्युलरिज्म भी रिलीजियस तटस्थता के नाम पर आचरण वाले धर्म से ही दुराव रखता है। अर्थात दो बेमेल चीजों को एक मानकर समान दूरी बरतता है। यही हमारे बच्चों, युवाओं को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सिखा रहा है। तब परिणाम अंधविश्वास के सिवाय क्या होगा? इस समस्या को आंख मिला कर देखना जरूरी है। यह 'धार्मिकता' नहीं, जो बढ़ रही है। धर्म से दूरी बढ़ने को धार्मिकता कहना एक भ्रम को प्रोत्साहन है। हमारा धर्म यानी धर्म की पहचान, हमारी शिक्षा विकृत हो रही है। समाज में बढ़ता भ्रष्टाचार, पापाचार, आदि उसी का कुफल है। इसी कारण धर्म अर्थात हिंदू धर्म अरक्षित हो रहा है, क्योंकि यह किसी मत-विश्वास पर नहीं, बल्कि सृष्टि मात्र के साथ संबंध पर आधारित है। यही हिंदूधर्म की अद्वितीयता और उसकी सामाजिक दुर्बलता और राजनीतिक कठिनाइयों का आधार भी है। रिलीजन वाले मतवाद अपने आस-पास बाड़ा बनाते हैं। जो उसके भीतर हैं वे 'अपने' हैं और बाकी सब 'गैर' और प्रायः शत्रु भी माने जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ऐसे बाड़े नहीं बनाता और किसी को गैर नहीं मानता। इसी से वह अकेला और अरक्षित भी रह जाता है। मत-विश्वास पर संगठित न होने के कारण हिंदू लोग आक्रामक रिलीजन के प्रहार के सामने असहाय हो जाते हैं। जैसे केरल से लेकर गांधार, सिंध, बंगाल, असम के लाखों हिंदू किस्तों में बार-बार होते रहे। जैसे अभी कश्मीर के हिंदू असहाय मारे गए और अपने ही देश में विस्थापित, शरणार्थी बनने को विवश हुए।

भारतीय संविधान में भी धर्म को रिलीजन मान कर रिलीजियस फ्रीडम की व्यवस्था है, किंतु धर्म-रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका घातक फल हुआ कि छल-बल पूर्वक किसी को ईसाई या मुसलमान बना लेने जैसा राजनीतिक कर्म भी रिलीजस कार्य के रूप में स्वीकृत है। इसीलिए ईसाई मिशनरियों द्वारा 'आत्माओं की फसल काटना' कोई गैर-कानूनी मामला नहीं बनता है। उलटे 'सभी धर्मों में एक ही बातें हैं' या 'कोई धर्म हिंसा की सीख नहीं देता' जैसी बातों को यहां प्रचारित किया गया है। दुनिया पर कब्जे की नीति रखने वाले, संगठित रिलीजनों को हिंदू धर्म के बराबर कह कर पिछले सौ साल से भारत को विखंडन के लिए खुला छोड़ दिया गया है। इसकी चिंता हमारे माननीय कभी नहीं करते, जबकि शिवलिंग पर आरओ का पानी चढ़ाने का निर्देश देते हैं। लगता है कि उनके लिए शिवलिंग और ताजमहल में कोई अंतर नहीं है।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऐतिहासिक सच की अनदेखी

बलबीर पुंज

जहां जिन्ना और इकबाल ने प्रारंभ में तो सैयद अहमद खान ने बाद में 'दो राष्ट्र' के सिद्धांत की तरफदारी की

हाल में भारत ने छद्म-सेक्युलरवाद का मुखर रूप तब दिखा जब बीते दिनों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के संस्थापक सैयद अहमद खान की 200वीं जयंती मनाई जा रही थी। इस दौरान उनका तरह-तरह से यशगान किया गया। उनकी जयंती से संबंधित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें दूरदर्शी नेता बताते हुए एएमयू को भारतीय राष्ट्रवाद और चरित्र का आदर्श उदाहरण बताया। इसी तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष केजी बालाकृष्णन ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक बताते हुए उनके मिशन को आगे ले जाने पर बल दिया। यदि सैयद अहमद खान को भारत में एक नायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है तो फिर मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती मनाने में कैसी झिझक? पाकिस्तान में ये तीनों व्यक्ति 'पाकिस्तान के जनक' के रूप में स्थापित हैं। वहां के स्कूली पाठ्यक्रमों में तीनों हिंदू-मुस्लिम अलगाववाद पर बल देने और पाकिस्तान निर्माण के लिए आवश्यक विभाजनकारी मानसिकता को प्रोत्साहन देने वाले नेताओं के रूप में वर्णित हैं। जिन्ना और इकबाल प्रारंभ में जहां स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े और बाद में औपनिवेशिक प्रपंच का महत्वपूर्ण हिस्सा बने वहीं सैयद अहमद खान ने 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद भारत में 'दो राष्ट्र' के सिद्धांत का समर्थन किया। पाकिस्तान ने अपनी अलग पहचान को रेखांकित करने के लिए गांधीजी, नेताजी बोस या फिर भगत सिंह के सम्मान में अपने किसी भी सार्वजनिक भवन, संस्था या फिर सड़क का नाम नहीं रखा है। वहां सैयद अहमद खान के नाम पर कई संस्थान और भवन हैं जिनमें कराची का सर सैयद अहमद इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सर सैयद सरकारी कॉलेज और रावलपिंडी स्थित प्रख्यात एफजी सर सैयद अहमद कॉलेज आदि शामिल हैं। सर सैयद अहमद की 200वीं जयंती पर पाकिस्तान ने उनकी स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया और आज भारत में उनकी विरासत को राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया जा रहा है। सैयद अहमद खान के भ्रामक और मिथकीय महिमामंडन की पृष्ठभूमि में सत्य की खोज आवश्यक है।

17 अक्टूबर, 1817 को जन्मे सैयद अहमद खान 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े। अंग्रेजों का विश्वास जीतकर वह 1867 में एक न्यायालय के न्यायाधीश भी बने और 1876 में सेवानिवृत्त हुए। अप्रैल 1869 में सैयद अहमद खान अपने बेटे के साथ इंग्लैंड गए, जहां छह अगस्त को उन्हें 'ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया' से सम्मानित किया गया। 1887 में उन्हें लॉर्ड डफरिन द्वारा सिविल सेवा आयोग के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया। इसके अगले वर्ष उन्होंने अंग्रेजों के साथ राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने और अंग्रेजी शासन में मुस्लिम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अलीगढ़ में 'संयुक्त देशभक्त संघ' की स्थापना की। खान बहादुर के नाम से प्रख्यात सैयद अहमद की वफादारी से खुश होकर ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें वर्ष 1898 में नाइट की उपाधि भी दी। वर्ष 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ देश में पूर्ण स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग उठनी शुरू हुई तब उन्होंने हिंदू बनाम मुस्लिम, हिंदी बनाम उर्दू, संस्कृत बनाम फारसी का मुद्दा उठाकर मुसलमानों की मजहबी भावनाओं का दोहन किया। उन्होंने यह विचार स्थापित किया कि मुसलमान का दैवीय कर्तव्य है कि वे कांग्रेस से दूर रहें। अपने इस अभियान में वह काफी हद तक सफल भी हुए।

ऐसा अनुमान है कि उस कालखंड में देश के बहुत कम मुस्लिम ही गांधीजी के अखंड भारत के सिद्धांत के साथ खड़े रहे। शेष मुस्लिम समाज की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी। यह ठीक है कि उनमें से अधिकांश भारत में ही रह गए। 16 मार्च, 1888 को मेरठ में दिए सैयद अहमद खान के भाषण ने भारत में मजहब आधारित विभाजन के वैचारिक दर्शन का शिलान्यास कर दिया। उनके अनुसार, 'सोचिए यदि अंग्रेज भारत में नहीं हों तो कौन शासक होगा? क्या दो राष्ट्र-हिंदू और मुसलमान एक ही सिंहासन पर बराबर के अधिकार से बैठ सकेंगे? निश्चित रूप से नहीं। आवश्यक है कि उनमें से एक-दूसरे को पराजित करें। जब तक एक कौम दूसरे को जीत न ले तब तक देश में कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। मुस्लिम आबादी हिंदुओं से कम हैं और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मुस्लिम तो और भी कम, किंतु उन्हें कमजोर नहीं समझा जाए। वे अपने दम पर मुकाम पाने में सक्षम हैं।'

सैयद अहमद के अनुसार, 'सात सौ वर्षों तक हमने जिन पर शासन किया, उनके अधीन रहना हमें अस्वीकार्य है। अल्लाह ने कहा है कि मुसलमानों का सच्चा मित्र केवल ईसाई ही हो सकता है, अन्य समुदाय के लोगों से दोस्ती संभव नहीं है। हमें ऐसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए जिससे वे हमेशा के लिए भारत में राज कर सकें और सत्ता कभी भी 'बंगालियों' के हाथों में न जाए।' वह कांग्रेसियों को अक्सर 'बंगाली' कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस नेतृत्व के बड़े हिस्से पर बंगाली काबिज थे। अपने एजेंडे के तहत सैयद अहमद खान ने 1875 में एक शैक्षणिक संस्था की शुरुआत की जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और अंततः वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के रूप में स्थापित हुआ। यह एक तथ्य है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वर्ष 1941 में इस विश्वविद्यालय को 'पाकिस्तान की आयुधशाला' की संज्ञा दी थी। इसी तरह 31 अगस्त, 1941 को एएमयू छात्रों को संबोधित करते हुए मुस्लिम लीग के नेता लियाकत अली खान ने कहा था, 'हम मुस्लिम राष्ट्र की स्वतंत्रता की लड़ाई जीतने के लिए आपको उपयोगी गोला-बारूद के रूप में देख रहे हैं।' बाद में लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वर्ष 1954 में आगा खान ने अलीगढ़ के छात्रों के लिए कहा था, 'सभ्यता के इतिहास में विश्वविद्यालय देश के बौद्धिक और आध्यात्मिक जागरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। हम यह गौरव के साथ दावा कर सकते हैं कि संप्रभु पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ।' सैयद अहमद खान मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इसलिए चाहते थे ताकि मुस्लिम समाज औपनिवेशिक साम्राज्य की बेहतर तरीके से खिदमत कर सके और अंग्रेजों के साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाए। आखिर इस सब सच की अनदेखी करने का क्या मतलब?

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य और स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

देव

देवता संस्कृत भाषा के दिव् धातु से बना है जिसका अर्थ प्रकाश है। सूर्य को प्रथम और प्रत्यक्ष देवता इसीलिए कहा गया है कि वह प्रकाश के साथ जड़-चेतन को ऊर्जा देता है। जब खुद के या किसी अन्य के जीवन में अंधेरा दिखाई पड़े तो उसे आत्मबल की ऊर्जा देकर कोई भी व्यक्ति देवता की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। मानव देवी-देवता की पूजा-आराधना करता है। वह किसी एक देवता को ईष्ट बनाए या अन्यान्य देवी-देवताओं की पूजा जब करे तो इस बात पर जरूर ध्यान दे कि जिस देवी-देवता की पूजा की जा रही है वे क्यों पूजनीय हुए? जिन कार्यों से वे पूजनीय और वंदनीय हुए वही आचरण पूजक को अपने जीवन में अपना कर पूजनीय व्यक्तित्व बनाने का कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूजा तो भगवान विष्णु, भगवान शंकर, मां दुर्गा की करें और आचरण रावण या लंकिनी-डंकिनी का करें। यह तो और घातक है। रावण, कंस या धृतराष्ट्र जैसे परम शक्तिशाली राजा तक हर पल डरे-डरे रहते रहे। डर व्यक्ति के शरीर और मन पर घातक असर डालता है। कोई भी व्यक्ति छल-छद्म, धोखा-विश्वासघात, शोषण और उत्पीड़न में संलग्न है तो एक अज्ञात भय उसमें धीरे-धीरे समाने लगता है। जबकि सदाचार का जीवन बनाने से आत्मबल मजबूत होता है।

जिंदगी में विपरीत स्थितियां मनुष्य की परीक्षा लेती हैं। इस हालत में सबसे पहले धैर्य बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ सत्य एवं सदाचार को मजबूती से धारण रखना चाहिए। विपरीत हालात में आलस्य का भाव उत्पन्न होता है। काम में मन नहीं लगता। ऐसी स्थिति में आनन-फानन में बिना सोचे-समझे कोई नकारात्मक कदम उठा लेने पर उसके गंभीर परिणाम ही होंगे। उलटे-पलटे काम से हमेशा डर बना रहेगा। तात्कालिक लाभ का मतलब विधिक सिद्धांतों के खिलाफ किया गया कार्य है। फिर तो उसे छुपाने के लिए झूठ-फरेब का आवरण ओढ़ना पड़ता है जो मनुष्य को देवता नहीं दैत्य की श्रेणी में ले जाता है। मन में ग्लानि भी होने लगती है, लेकिन बाह्य स्तर पर आदर्श की बात करनी पड़ती है। जीवन में द्वंद्व उत्पन्न होता है जो सर्वाधिक कष्टदायी स्थिति होती है। मन धिक्कारता है। घर-परिवार या समाज में साहस के साथ खड़े होने में हिचक होती है। बचाव के उपाय ढूंढने पड़ते हैं।

सलिल पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

उपभोक्ता हितों की रक्षा जरूरी

नीति और नियामक बदलेंगे नियति शीर्षक से लिखे अपने लेख में राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि देश में सूचना एवं संचार तकनीक यानी आइसीटी और दूरसंचार के अगले दौर की वृद्धि के लिए वैश्विक मानदंडों वाले नियामक और नीतियों की दरकार होगी। इसमें कोई दोराय नहीं कि आइसीटी से देश, अर्थव्यवस्था और देशवासियों के जीवन में आमूलचूल बदलाव आए हैं। मेरा मानना है कि प्राइवेट दूरसंचार के विकसित होने से भारत में जहां लाखों युवाओं को रोजगार मिला वहीं दूरसंचार के क्षेत्र में बेहद सुधार हुआ और भारत के गांवों तक दूरसंचार की आधुनिक सुविधाएं पहुंचीं। हाल में जियो के पदार्पण के बाद मोबाइल सर्विस देने वाली निजी कंपनियां शक के घेरे में आ गई हैं। जियो से मुकाबले में बने रहने के लिए उन्होंने भी इंटरनेट और कॉल की सस्ती दरों को एकदम से सस्ता कर दिया है। बेशक हाल में संचार क्षेत्र में कुछ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि कुछ निजी दूरसंचार कंपनियों ने अपना घाटा पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों की छंटनी की है। जाहिर है सरकार को निजी दूरसंचार कंपनियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखनी चाहिए ताकि वे उपभोक्ताओं के साथ कोई छल न कर सकें।

राजेश, पंजाब

भुखमरी से निपटने को ठोस प्रयास जरूरी

हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक भूख सूचकांक 2017 की सूची इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदर्शित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों में भूख से वंचित तबकों की पहचान करना तथा उन्हें देश विशेष के द्वारा उचित मात्रा में गुणवत्ता पूर्ण भोजन उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश जारी करना है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट अनुसार वैश्विक भूख सुचकांक 2017 की सूची में भारत 100वें पायदान पर है। सूची में कुल 119 देश सम्मिलित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में शून्य अंक सर्वोच्च स्थिति को प्रकट करता है जबकि 100वां अंक गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। भारत वैश्विक भूख सूचकांक में 100वें स्थान के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी पीछे है। यह हमारे शासन व्यवस्था और विकास के लिए चिंताजनक स्थिति है। भारत में एक वर्ष में 10 फीसद होने वाली आकस्मिक मौत का ठोस कारण भूखमरी है इसमें बच्चों की संख्या भी शामिल है। देश में भूख से वंचित तबकों की संख्या को कम करने हेतु शासन व्यवस्था की विकासरूपी प्राथमिकता होनी चाहिए।

अंकित कुंवर, आर्यभट्ट कॉलेज, नई दिल्ली

समाज को बांट रही आरक्षण व्यवस्था

आरक्षण ने समाज को टुकडों में बांट दिया है। इसके कारण कुशल और मेधावी युवाओं के साथ पूरा न्याय नहीं हो पाता, लेकिन ये भी सच है कि जब तक समाज का हर वर्ग आगे नहीं बढ़ता तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत अधिक है। देहात और शहर के स्कूल की शिक्षा के स्तर में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे एक गांव के स्कूल का बच्चा उस बच्चे का मुकाबला कर सकता है जो शहर के बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता है। इसके लिए शिक्षा में एक ही तरह की व्यवस्था लानी होगी जो कम से कम हमारे देश में तो असंभव है। दूसरे जो बच्चे आर्थिक तौर पर मजबूत हैं उनके लिए विभिन्न निजी कालेजों में सीट आरक्षित हैं, जो भी मैनेजमैंट का कोटा है वह सामान्य वर्ग को ही तो जाता है जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हैं वे करोडों रुपये खर्च करके अपनें बच्चों को बड़े आराम से डॉक्टर और इंजीनियर बना देते हैं और फिर यही बच्चे जो मैरिट में बहुत नीचे होते हैं सुपर स्पेशलिस्ट बनकर अपना अस्पताल खोल लेते हैं। उस समय योग्यता वाला मापदंड कहां चला जाता है ये समझ में नहीं आता।

rs1dahiya@gmail.com

यहां भी तो हो बदलाव

मुस्लिम संगठन 'जमीयत उलेमा-ए-हिंद' के महासचिव महमूद मदनी हमेशा से यह कहते आ रहे हैं और अब भी यही कहते हैं कि देश का बहुसंख्यक समाज स्वभाव से सेक्युलर है, हमेशा सेक्युलर रहा है और आज भी सेक्युलर है, इसलिए मुस्लिम समाज को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोचने का मुख्य विषय यह है कि जो मौलाना मदनी हिंदुओं की घर्मनिर्पेक्षता पर मुग्ध हैं तो वे अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से कट्टरपन छोड़कर सेक्युलर बनने का आह्वान क्यों नही करते? इससे क्या यह स्पष्ट नहीं होता कि जब तक बहुसंख्यक हिंदू समाज धर्मनिरपेक्ष है तब तक ही भारत में मुसलमान सुरक्षित है चाहे मुसलमान कितना ही कट्टरपंथी क्यों न हो? इसीलिए मौलाना ने मुसलमानों को भारत में निश्चिंत होकर आपसी भाईचारा, एकता व शांति बनाए रखने को कहा है। परंतु उनके पास मुस्लिम समाज को कट्टरता छोड़कर धर्मनिरपेक्षता अपनाने के लिए कोई सुझाव नहीं है। उनका (अपने गुप्त लांग टर्म एजेंडे को ध्यान में रखकर) यह कहना कि 'किसी राजनैतिक दल के शार्ट टर्म पॉलिटकल एजेंडे से कोई हानि नहीं होनी चाहिये' की गंभीरता को समझना होगा। क्या इस्लामिक जगत कभी घर्मनिर्पेक्षता को मान्यता देगा या उसके सहारे केवल अपने वैश्विक इस्लामीकरण के गुप्त लक्ष्य को पाने के लिये ही सक्रिय रहेगा? अधिकांश मुस्लिम समाज मानवता, राष्ट्रीयता व घर्मनिर्पेक्षता के स्थान पर धार्मिक कट्टरपन को अधिक महत्व देते हैं। धार्मिक कट्टरता जब सामूहिक हो जाती है तो संगठित होकर साम्प्रदायिकता भड़काती है और वहीं धीरे-धीरे इस्लामिक आतंकवाद या जिहाद का कारण बन जाती है।

guptavinod038@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

भाजपा ने मुझे सिखाया कि किसी परिवार के बजाय देश के प्रति वफादार होना चाहिए। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं खुद को बदलने में सफल रहा।

हेमंत विश्व सरमा@himantabiswa

अदालत के लिए क्रिकेट महत्वपूर्ण है। पटाखे और दही-हांडी और भी अहम हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों की अर्जी नहीं। आखिर कश्मीरी पंडित इतनी सी बात क्यों नहीं समझते?

कंचन गुप्ता@KanchanGupta

पिछले एक महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के छह दौरे किए हैं। सरकार, जब विकास वहां पहुंच ही गया है तब आप उसके पीछे-पीछे क्यों दौड़ रहे हैं?

अभिषेक मनु सिंघवी@DrAMSinghvi

लव जिहाद पर एनआइए ने दलील दी कि जिस आदमी ने शादी की वह अपराधी है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून की कौनसी किताब में लिखा है कि अपराधी से कोई विवाह नहीं कर सकता।

उत्कर्ष आनंद@utkarsh_aanand

अगर अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी रणनीति को सिरे चढ़ाना चाहता है तो चाबहार बंदरगाह का समर्थन करे, क्योंकि इसके माध्यम से ही भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान में अनाज पहुंचाया है।

माइकल कुगेलमैन@MichaelKugelman

जनपथ

यूपी और बिहार हो या फिर हो गुजरात,
बंधु सियासत में कहीं पिंड न छोड़े जात।
पिंड न छोड़े जात कहीं पर यादव-कुर्मी,
हरिजन-पाटीदार कहें करते हठधर्मी।
बांटे हिंदुस्तान सियासत में है जो भी,
बचा न कोई राज्य हिमाचल हो या यूपी।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।